


26.08.25

पत्रावली वेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।  
वकील वादी को बार-बार अवसर देने के बावजूद  
भी प्रतिवादी की तलबी हेतु शजि० समान तलबाना  
वेश नहीं किया गया है एवं ना ही प्रतिवादीगण  
की तलबी करवाई गई है। वकील वादी द्वारा  
आदेश - 9 नियम-5 CPC के प्राधान्यों की  
— लगातार

## फर्द अहकाम

दिनांक	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पंजीयन नं. की गई का
	<p>पालना नदी की गई है। अतः बाढ़ी का यह वापस पुली के अभाव में इसी स्तर पर शरिज किया जाता है। फत्राली बाद तरीब तकमील होकर दागिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय लिखाया जाकर लुले व्यापालप में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (सुनीलकुमार-चौहान) RAS.</p>	